न्यायालय राजस्व मण्डल,म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

एम0के0सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक 426–दो/2010 – विरूद्ध आदेश दिनांक 25–3–2010 – पारित व्दारा – अपर आयुक्त,चम्बल संभाग, मुरैना – प्रकरण क्रमांक 157/2007–08 अपील

1– सेवाराम पुत्र देवप्रसाद
2– हरित पुत्र गणेश नावालिग
सरपरस्त पिता गणेप्रसाद निवासी
ग्राम बरहा तहसील लहार जिला भिण्ड ––आवेदकगण

विरूद्ध

1–श्रीमती फूला देवी पत्नि स्व.रामसिया
2–रमेश कुमार 3– रमाकांत 4– महावीरशरण
5– आनन्दकुमार पुत्रगण रामसिया ब्राहमण
6– लालताप्रसाद पुत्र रामसिया ब्राहमण
निवासीगण ग्राम बरहा तहसील लहार जिला भिण्ड ––––अनावेदकगण

(आवेदक के अभिभाषक श्री रामसेवक शर्मा)
(अनावेदकगण सूचना उपरांत अनुपस्थित–एकपक्षीय)

आ दे श
(दिनांक 3–2 – 2016 को पारित)

अपर आयुक्त,चम्बल संभाग, मुरैना द्वारा प्रकरण क्रमांक 157/2007–08 अपील में पारित आदेश दिनांक 25–3–2010 के विरूद्ध यह निगरानी मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश ऐसा है कि अनावेदक क–2 की ओर से तहसीलदार लहार को आवेदन दिया कि मौजा बरहा स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 470,517,544,554,556,609,623,633 कुल किता 8 रकबा 2.04 हैक्टर में हिस्सा 1/2 के रामभरोसे पुत्र देवप्रसाद भूमिस्वामी थे, जिनका स्वर्गवास 14.4.04 को हो चुका है उनका दत्तक पुत्र के नाते मृतक रामभरोसे के हिस्से की भूमि पर नामान्तरण किया जाय। तहसीलदार लहार ने प्र.क.44/अ–6/03–04 दर्ज करके पक्षकारों को सुनकर दि. 21–02–2007 को आदेश पारित करके बसीयतनामे के आधार पर आवेदक क–2 हरित का नामान्तरण कर दिया। इस आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी लहार के

यहॉ अपील करने पर अपील क्रमांक 49/06-07 में आदेश दिनांक 15.5.07 से अपील निरस्त हुई। इस आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना के न्यायालय में द्वित्तीय अपील होने पर ने प्र0क्र0 157/07-08 अपील में पारित आदेश दि. 25-3-10 से दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त कर एंव प्रकरण पुनः सुनवाई कर आदेश पारित करने हेतु तहसीलदार लहार को प्रत्यावर्तित कर दिया। इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी है।

3/ निगरानीकर्ताओं के अधिवक्ता के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया । अनावेदकगण सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही हुई है।

4/ निगरानीकर्ताओं के अभिभाषक के तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से स्थिति यह पाई गई है कि अपर आयुक्त, चम्बल संभाग मुरैना ने तहसीलदार के आदेश दिनांक 21.2.07 को इस आधार पर निरस्त किया है कि जब कलेक्टर न्यायालय में निगरानी प्रचलित होने का आपत्ति आवेदन लालताप्रसाद ने दे दिया था तब तहसीलदार को नामान्तरण कार्यवाही रोक देना थी। अपर आयुक्त स्वयं् स्वीकार करते हैं कि निगरानी प्रकरण में स्थगन नहीं था, तब तहसीलदार को कार्यवाही किस आधार पर रोक देना चाहिये थी, अपर आयुक्त ने स्पष्ट नहीं किया है। कंचनवाई विरूद्ध पुतरी वाई 1977 राजस्व निर्णय 386 का न्यायिक दृष्टांत है कि नामान्तरण के बारे में प्रस्तुत मामले में सिविल कोर्ट में पेन्डिंग मामले के निर्णय के लिये न तो प्रतीक्षा करनी है और न स्थगित रखना है उसे निर्णय देना है तथा कार्यवाही जारी रखना है। विचाराधीन मामले में तहसीलदार के समक्ष केवल निगरानी चलने की आपत्ति की गई थी, स्थगन आदेश प्रस्तुत नहीं किया गया, इसलिये तहसीलदार व्दारा नामान्तरण कार्यवाही करने में किसी प्रकार की त्रृटि नहीं की गई है । इस सम्बन्ध में अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना व्दारा आदेश दिनांक 25-3-10 में निकाला गया निष्कर्ष उचित नहीं है।

5/ अपर आयुक्त ने आदेश दिनांक 25-3-10 में निर्णय दिया है कि तहसीलदार के समक्ष जब दो बसीयतें थी तब एक बसीयत को अमान्य करना एंव दूसरी बसीयत के आधार पर नामान्तरण करने का तहसीलदार का निर्णय उचित नहीं है। तहसीलदार के प्रकरण कमांक 44/अ-6/03-04 के अवलोकन पर पाया गया कि आवेदक क-2 के हित में मृतक भूमिस्वामी द्वारा की गई बसीयत पंजीबद्ध है जबकि अनावेदक लालताप्रसाद व्दारा प्रस्तुत बसीयत नोटरी व्दारा की गई है। सामान्य नियम है कि अपंजीयत बसीयत से पंजीयत बसीयत अधिक भरोसेमंद मानी जाती है। आवेदक क-2 ने बसीयत को साक्षीगण से प्रमाणित कराया है जबकि लालताप्रसाद एंव अन्य आपत्तिकर्ताओं को साक्ष्य के लिये 17 पेशियों पर अवसर दिये गये है परन्तु उन्होंने साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है इसके वाद भी अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना व्दारा प्र0क0 157/07-08 अपील में पारित आदेश दिनांक 25 मार्च 2010 से दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों निरस्त करके प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु प्रत्यावर्तित करना पक्षकारों के बीच व्यर्थ मुकदमेवाजी बढ़ाने का प्रयास माना जावेगा।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाकर अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना व्दारा प्र0क0 157/07-08 अपील में पारित आदेश दिनांक 25 मार्च 2010 त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है एंव अनुविभागीय अधिकारी लहार द्वारा अपील कमांक 49/06-07 में पारित आदेश दिनांक 15.5.07 तथा तहसीलदार लहार व्दारा प्रकरण कमांक 44/अ-6/03-04 में पारित दिनांक 21-02-2007 उचित पाये जाने से यथावत् रखे जाते हैं।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल,
म0प्र0ग्वालियर